## राजस्थान सरकार

## निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : प्रशि. / मिड.वा.एजु. / 2024 / ठि) प्रधानाचार्य, स्टेट मिडवाईफरी ट्रेनिंग इन्स्ट्टीयूट, एसएमएस नर्सिंग महाविधालय (SMTI), जयपुर।

दिनांक 5/01/24

विषय : एनपीएम (NPM) प्रथम बैच के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मिडवाईफरी कार्यक्रम के अन्तर्गत एनपीएम के प्रथम बैच के समस्त प्रशिक्षणार्थीयों को सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारीयों से कार्यमुक्त होकर 10 जनवरी 2024 तक आपके अधीन कार्यग्रहण किया जाना है। कार्यग्रहण करने से पूर्व प्रशिक्षणार्थीयों से सलग्न प्रोफार्मा अनुसार बाण्ड भरवाया जाना सुनिश्चित किया जावे ।

अतः इस सम्बन्ध में समस्त आवश्यक कार्यवाही करते हुये उपरोक्त समस्त प्रशिक्षणार्थीयों के प्रशिक्षण की समस्त व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

(सुरेश नवल) निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : प्रशि. / मिड.वा.एजु. / 2024 / 💇 | प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :— दिनांक 5 101/24

- 01. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 02. मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान, जयपुर।
- 03. प्रधानाचार्य एसएमएस नर्सिंग मेडिकल कॉलेज जयपुर।
- 04. निदेशक, आर.सी.एच ।
- 05. प्रोजेक्ट डायरेक्टर (मेटरनल हेल्थ)।
- 06. राज्य प्रमुख, UNFPA, Raj को भेजकर लेख है कि प्रधानाचार्य SMTI जयपुर से सम्पर्क कर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करे।
- 07. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उपरोक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे ।

निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर

## Annexure 3

## Declaration of Acceptance of the Position of Nurse Practitioner in Midwifery

Prom
<sub>german</sub> en mannen met et i
only the second section is a second second section in the second
То
**************************************
Dear Sir/Madam
have been selected for the position of Nurse Practitioner in Midwifery in the state of
I hereby declare that I am aware of my roles and responsibilities as a NPM and upon completion of the training I am willing to work at any Midwifery Led Care Unit that will be established at in the State. I understand that the MLCU may be established either at a Medical College/District Hospital /CHC etc. by the Govt of
This undertaking shall take effect from the time I am accepted by and confirmed for enrolment in the state as a Nurse Practitioner in Midwifery.
D <sub>ate:</sub> Signature of Candidate: